भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 836**

**22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: प्याज का उत्पादन**

**836. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) किसानों को उनके कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य एवं उनकी कृषि आय को दोगुना करने के लिए अब तक किये गये उपाय एवं उक्त को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य-योजना क्या है; और

(ख) मार्च 2017 से जून 2017 के मौसम में प्रदेशवार प्याज का उत्पादन कितना हुआ था तथा किसानों से प्याज का क्रय मूल्य कितना था तथा प्याज के भंडारण और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क): सरकार, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्‍य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्‍य संगत कारकों पर विचार करके किसानों को लाभकारी मूल्‍य देने के लिए 22 मुख्‍य फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) और गन्‍ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) निर्धारित करती है। एमएसपी घोषित करने के अलावा सरकार नामित खरीद एजेंसियों के माध्‍यम से कृषि उत्‍पादों की खरीद भी आयोजित करती है। तथापि, किसान को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में अपना माल बेचने का विकल्‍प है, जो भी उन्‍हें लाभदायक हो।

इसके अलावा, सरकार किसानों को लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) को भी क्रियान्‍वित कर रही है और किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दे रही है।

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नीति तैयार करने हेतु सरकार की एक समिति गठित की गई है। इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सात सूत्री रणनीति की वकालत की है। ये हैं:

* ‘‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’’ के लक्ष्‍य के साथ पर्याप्‍त बजट सहित सिंचाई पर विशेष ध्‍यान देना।
* प्रत्‍येक खेत के मृदा स्‍वास्‍थ्‍य के आधार पर गुणवत्‍तापूर्ण बीजों और पोषाहारों का प्रावधान।
* फसल कटाई के बाद फसल हानि रोकने के लिए भंडारण और प्रशीतन श्रृंखलाओं में वृहत पूंजीनिवेश।
* खाद्य प्रसंस्‍करण के माध्‍यम से मूल्‍यवर्धन को बढ़ावा देना।
* विरूपताओं को हटाते हुए राष्‍ट्रीय फार्म बाजार का सृजन और सभी 585 स्‍टेशनों पर ई-प्‍लेटफार्म का सृजन।
* जोखिमों को कम करने के लिए वहनीय लागत पर एक नई फसल बीमा योजना शुरु करना।
* कुक्‍क्‍ुट पालन, मधुमक्‍खी पालन और मत्‍स्‍यन जैसे सहायक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

(ख): 2015-16 और 2016-17 के लिए प्‍याज के राज्‍य-वार उत्‍पादन का ब्‍यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत शामिल नहीं किये गये प्‍याज सहित कृषि और बागवानी जिन्‍सों की खरीद के लिए बाजार हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्‍वित करती है ताकि बंपर फसल की स्‍थिति में जब इन जिन्‍सों के मूल्‍य आर्थिक स्‍तर/उत्‍पादन लागत से कम हो जाते हैं इन जिन्‍सों के उत्‍पादकों को दबाव में अपना उत्‍पाद बेचने से बचाया जा सके।

2016-17 और 2017-18 के लिए एमआईएस के तहत प्‍याज की खरीद का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **राज्‍य** | **बाजार हस्‍तक्षेप मूल्‍य (रू./टन)** | **मात्रा (टन में)** |
| **2016-17** |
| **कर्नाटक** | 6240/- | 100000 |
| **तेलंगाना** | 7070/- | 5000 |
| **2017-18** |
| **मध्‍य प्रदेश**  | 5867/- | 651000 |
| **राजस्‍थान** | 3650/- | 20000 |

सरकार ने प्‍याज सहित बागवानी फसलों के भंडारण और संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें शीत भंडार गृहों (सीएस) के माध्‍यम से फसल कटाइ्र के बाद प्रबंधन, पैक हाऊस सहित शीत श्रृंखला आपूर्ति चेन, रीफर गाडि़या और भंडारण सुविधाओं का विस्‍तार शामिल है।

**अनुबंध**

**दिना 22.12.2017 को उत्‍तर के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न प्रश्‍न संख्‍या 836 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध**

**प्‍याज का राज्‍य-वार उत्‍पादन**

**(हजार मिट्रिक टन)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **राज्‍य** | **2015-16** | **2016-17** |
| आंध्र प्रदेश  | 885.42 | 913.70 |
| असम | 80.31 | 195.05 |
| बिहार | 1247.34 | 1248.96 |
| छत्‍तीसगढ़ | 375.99 | 422.05 |
| गुजरात | 1355.78 | 1369.34 |
| हरियाणा | 705.80 | 617.09 |
| हिमाचल प्रदेश  | 47.96 | 50.45 |
| जम्‍मू और कश्‍मीर | 65.27 | 65.92 |
| झारखंड | 254.63 | 292.59 |
| कर्नाटक | 2695.99 | 3369.14 |
| केरल | 0.28 |   |
| मध्‍य प्रदेश | 2848.00 | 2965.87 |
| महाराष्‍ट्र | 6529.34 | 6603.32 |
| मणिपुर | 5.17 | 5.09 |
| मेघालय | 4.60 | 4.94 |
| मिजोरम | 8.43 | 8.44 |
| नागालैंड | 7.14 | 7.36 |
| ओडिशा | 378.58 | 378.67 |
| पंजाब | 193.71 | 202.55 |
| राजस्‍थान | 1435.11 | 1410.00 |
| सिक्‍किम  | 1.73 | 1.73 |
| तमिलनाडु | 380.95 | 359.10 |
| तेलंगाना | 395.96 | 275.20 |
| त्रिपुरा | 1.38 | 1.37 |
| उत्‍तर प्रदेश  | 422.75 | 424.63 |
| उत्‍तराखंड | 41.59 | 41.80 |
| पश्‍चिम बंगाल | 544.55 | 465.45 |
| अन्‍य | 17.49 | 0.98 |
| **कुल** | **20931.21** | **21700.80** |

 \*तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

\*\*\*\*\*